(14)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 07 / 2023 दायरा दिनांक 06.07.2023

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

रूपेन्द्रसिंह पुत्र अमरिकसिंह जाति सिक्ख निवासी भमूका तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला–बारां – रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 22.04.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार किशनगंज के प्रकरण संख्या 142 / 23 निर्णय दिनांक 14.02.2023 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम भमूका की आराजी खसरा नम्बर 807 रकबा 3.00 बीघा किस्म गैर मुमकीन खाल पर अतिक्रमी मानकर 150 /– रूपये जुर्माना, फसल नीलामी एवं बेदखली के आदेश दिए गए हैं,। साथ ही अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब व साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया है तथा मनमाना निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय निरस्त फरमावें ।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पास अपीलार्थी को द्वितीय अतिचारी माना जाने योग्य कोई ठोस आधार नहीं है। पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने हेतु विवादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश एवं बेदखलनामा की प्रति संलग्न करना जरूरी है। अपीलार्थी के वकील का यह भी तर्क है कि सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अतः सिविल कारावास की सजा निरस्त करने योग्य है ।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया जिसमें अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने बाबत पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई भूल नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)